<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 37/2023-24 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तनआर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 37/ 2023-24

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 01.03.2024

सेवा	**:**	**ग्राउन्ड हैंडिलिंग सेवाएं (जीएचएस)**
सेवा प्रदाता	**:**	**मैसर्स ए .आई. एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**:**	**श्रीनगर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली/त्रिची, इंदौर, रायपुर, कन्नूर, मोपा गोवा**

विषय: मैसर्स ए.आई. एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए.आई.ए.एस.एल.) के संबंध में श्रीनगर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली/त्रिची, इंदौर, रायपुर, कन्नूर, मोपा गोवा हवाईअड्डे पर ग्राउन्ड हैंडिलिंग सेवाओं के लिए 05.03.2024 से 30.09.2024 तक के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

सेवा प्रदाता की प्रस्तुति:

1. मैसर्स एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) नागर विमानन मंत्रालय (मोका) के अधीन मैसर्स एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत के विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (जीएचएस) प्रदान कर रही है।

2. मैसर्स एआईएएसएल ने दिनांक 01.02.2024 के पत्र द्वारा यह बताया कि वह एएआई द्वारा नियंत्रित हवाईअड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ग्राउंड हैंडलिंग सेवा विनियम, 2018 (संशोधन-2019 और संशोधन-2023 के साथ पठित) के प्रावधानों के अनुसार और एएआई के नियंत्रण वाले हवाईअड्डों से भिन्न अन्य हवाईअड्डों पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी दिनांक 25 फरवरी, 2022 की एआईसी संख्या 03/2022 ("भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण वाले हवाईअड्डों से भिन्न अन्य हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान करना") के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है।

3. मैसर्स एआईएएसएल द्वारा सूचित किए अनुसार मैसर्स एआईएएसएल के संबंध में विनिवेश प्रक्रिया शीघ्र पूरी होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए मैसर्स एआईएएसएल ने प्राधिकरण से सात (07) प्रमुख हवाईअड्डों अर्थात श्रीनगर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, इंदौर, रायपुर, कन्नूर, मोपा-गोवा में अपनी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए अंतरिम उपाय के तौर पर तदर्थ टैरिफ की अनुमति देने का अनुरोध किया है। मैसर्स एआईएएसएल ने प्राधिकरण से उपर्युक्त (07) सात हवाईअड्डों के लिए वही टैरिफ (31.03.2024 तक वैध) वसूल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया जो अन्य नजदीकी हवाई अड्डों पर उनकी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए ऐरा द्वारा नीचे दी गई तालिका के अनुसार पहले अनुमोदित की गई है:

क्र. सं.	**हवाईअड्डे का नाम**	**मैसर्स एआईएएसएल की ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए ऐरा द्वारा अन्य निकटवर्ती प्रमुख हवाईअड्डों के लिए अनुमोदित टैरिफ (31.03.2024 तक वैध) के आधार पर प्रस्तावित तदर्थ दरें**
01	श्रीनगर (एसएक्सआर)	अमृतसर (एटीक्यू)
02	कोयम्बटूर (सीजेबी)	कोझीकोड/कालीकट (सीसीजे)
03	तिरुचिरापल्ली (टीआरजेड)	कोझीकोड/ कालीकट (सीसीजे)
04	इंदौर (आईडीआर)	पुणे (पीएनक्यू)
05	रायपुर (आरपीआर)	भुवनेश्वर (बीबीआई)
06	कन्नूर (सीएनएन)	कोच्चि/कोचीन (सीओके)
07	मोपा-गोवा (जीओएक्स)	डेबोलिम-गोवा (जीओआई)

<u>एआईएएसएल की प्रस्तुति की प्राधिकरण द्वारा जांच:</u>

4. प्राधिकरण ने मैसर्स एआईएएसएल की प्रारंभिक प्रस्तुति की जांच की है और पाया है कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने अपने प्रस्ताव में उपर्युक्त सात हवाईअड्डों के लिए तदर्थ टैरिफ के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की सुरक्षा अनुमति आदि जैसे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त सात हवाईअड्डों के लिए प्रस्तावित टैरिफ दर कार्ड में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए अलग-अलग मद-वार प्रभार भी सम्मिलित नहीं किए हैं, जो कि नागर विमानन मंत्रालय (मोका) के निदेशों के अनुसार अनिवार्य अपेक्षा है। तदनुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाता को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करे और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ तथा अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हाल के टैरिफ आदेशों के अनुसार टैरिफ दर कार्ड के प्रारूप को ध्यान में रख कर प्रस्ताव पुन: पेश करे।

5. प्राधिकरण की टिप्पणियों के जवाब में मैसर्स एआईएएसएल ने दिनांक 13.02.2024 के पत्र द्वारा नीचे तालिका में बताए अनुसार ऊपर उल्लिखित सात (07) हवाईअड्डों के लिए उसी/नजदीकी हवाईअड्डे पर प्रचालनरत अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों (जीएचएस) के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर संशोधित टैरिफ दर कार्ड के साथ तदर्थ टैरिफ के लिए अपना संशोधित प्रस्ताव पेश किया:

क्र. सं.	**हवाईअड्डे का नाम**	**निकटवर्ती हवाई अड्डे पर अन्य अधिकृत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के एईआरए द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर**
01	श्रीनगर (एसएक्सआर)	श्री गुरू रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर स्थित मैसर्स इंडो थाई अमृतसर प्राइवेट लिमिटेड
02	कोयम्बटूर (सीजेबी)	कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर स्थित मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (कोयम्बटूर) प्राइवेट लिमिटेड
03	तिरुचिरापल्ली (टीआरजेड)	तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुनगर स्थित मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (त्रिचि) प्राइवेट लिमिटेड
04	रायपुर (आरपीआर)	स्वामी विवेकानन्द हवाईअड्डा, रायपुर स्थित मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड,
05	इंदौर (आईडीआर)	पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे स्थित मैसर्स इंडोथाई पुणे प्राइवेट लिमिटेड
06	कन्नूर (सीएनएन)	कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोचीन स्थित मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाईड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
07	मोपा-गोवा (जीओएक्स)	मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा गोवा स्थित मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

6 मैसर्स एआईएएसएल के संशोधित प्रस्ताव की जांच करते समय प्राधिकरण ने अवलोकन किया कि उसी/ निकटवर्ती हवाईअड्डों पर अन्य प्राधिकृत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों की तुलना में प्रस्तावित टैरिफ दरों में कुछ भिन्नताएं हैं। इसके जवाब में मैसर्स एआईएएसएल ने दिनांक 16.02.2024 के पत्र के माध्यम से आवश्यक सुधार करने के बाद संशोधित टैरिफ दरें प्रस्तुत की हैं।

7 प्राधिकरण नोट करता है कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) का प्रस्ताव सात हवाईअड्डों पर 'ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार शुल्क' विषय के प्रावधान के बारे में मौन है। परंतु नागर विमानन मंत्रालय (मोका) के नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट (एनएसओपी) और सामान्य विमानन (जीए) के लिए प्रमुख हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभारों के प्रावधान संबंधी दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के पत्र संख्या एवी-24032/184/2022-एएआई-मोका के अनुरूप प्राधिकरण सात (07) प्रमुख हवाईअड्डों के लिए इस विषय पर एआईएएसएल की ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए उसी/निकटवर्ती प्रमुख हवाईअड्डों पर अन्य प्राधिकृत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए अनुमोदित टैरिफ के अनुसार 'मद-वार प्रभार' को मानने का निर्णय लेता है। (जैसाकि पैरा 5 में बताया गया है)।

8. तत्पश्चात मैसर्स एआईएएसएल ने दिनांक 20.02.2024 को ई-मेल के माध्यम से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 11.09.2020 के पत्र संख्या सीएएस-7 (23)/2013/डिवि.-I (एआई एयरपोर्ट) (ई-184568) द्वारा जारी बीसीएएस की सुरक्षा अनुमति की प्रति प्रस्तुत की है। मैसर्स एआईएएसएल के लिए सुरक्षा अनुमति जारी होने की तारीख से पांच (5) वर्ष के लिए वैध है।

9. मैसर्स एआईएएसएल ने मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा में अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया है। स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ने बताया है कि नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 24.03.2024 के पत्र द्वारा हवाईअड्डा प्रचालक (जीआईएएल) से अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि "यह *बेहतर होगा कि* एआईएएसएल *को मोपा-गोवा, हवाई अड्डे पर अतिरिक्त ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में शामिल किया जाए क्योंकि ऐसा करना भारत में ग्राउंड हैंडलिंग संबंधी मौजूदा विनियमन के उद्देश्य के अनुरूप होगा तथा यह हवाईअड्डे पर बेहतर प्रतिस्पर्धा का माहौल सुनिश्चित करने के हित में भी है।"*

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण निर्णय लेता है कि जहां तक मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संबंध है, मैसर्स एआईएएसएल के लिए इसमें तय की गई ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की तदर्थ टैरिफ प्रचालन प्रारंभ करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी।

10. प्राधिकरण मैसर्स एआईएएसएल के दिनांक 16.02.2024 के प्रस्तुत पत्र की इस बात को ध्यान में रखकर कि मैसर्स एआईएएसएल द्वारा सूचित किए अनुसार इसकी विनिवेश की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है, अंतरिम अवधि में सात प्रमुख हवाईअड्डों अर्थात श्रीनगर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली/त्रिचि, इंदौर, रायपुर, कन्नूर, मोपा-गोवा हवाईअड्डों के लिए उसी/ निकटवर्ती हवाईअड्डों पर प्रचालनरत अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए अनुमोदित टैरिफ (31.03.2024 तक वैध) के आधार पर संलग्नक I से VII के अनुसार 05.03.2024 से 30.09.2024 तक प्रभावी तदर्थ टैरिफ दरों का अनुमोदन करने का निर्णय लेता है।

आदेश

प्राधिकरण इसके समक्ष रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एएआईएएसएल) को सात प्रमुख हवाईअड्डों, अर्थात श्रीनगर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली/त्रिचि, इंदौर, रायपुर, कन्नूर, मोपा-गोवा में **संलग्नक-I से VII** के अनुसार **05.03.2024 से 30.09.2024 तक** ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन शेड्ल्यूड और सामान्य विमानन उड़ानों के लिए टैरिफ, समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्ल्यूड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले अधिकतम प्रभार होंगे। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) मैसर्स एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के इसके पत्र संख्या एवी-24032/184/2022– एएआई-मोका के अनुरूप ऊपर उल्लिखित सात (07) प्रमुख हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(v) इसमें अनुमोदित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मैसर्स एआईएएसएल के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें प्रकाशित करेंगे।

(vii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

(viii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि जहां तक मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संबंध है, मैसर्स एआईएएसएल के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए इसमें तय की गई तदर्थ टैरिफ प्रचालन वास्तव में प्रारंभ होने की तारीख से प्रभावी होगी।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता अधिकारी

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मैसर्स एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल),
दूसरा तल, जीएसडी बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉमप्लेक्स,
टर्मिनल -2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110037

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
3) श्री आर.वी. शेषण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रशासनिक ब्लॉक, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तालुका परनेम, मोपा-गोवा- 403512
4) श्री जयकृष्णन एस, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस मेट्टान्नूर, कन्नूर- 670708